न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।
जमानत आवेदन संख्या–54 / 2026
श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–122 / 2025.
सरकार बनाम् शिवपुजन पासवान
अंतर्गत धारा–331(4), 305(a) of BNS.
सी.एन.आर.नं0–BRSO010010582026

पवन कुमार उर्फ पवन पासवान, पिता–स्व0 शिवपुजन पासवान, उम्र करीब–19 वर्ष, ग्राम–नयागॉव, थाना–श्यामपुर भटहां, जिला–शिवहर.....आवेदक।

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता –श्री सुबोध कुमार, चीफ एल.ए.डी.सी.।
बिहार सरकार की ओर से विद्वान लोक अभियोजक –श्री सुरेश राय।

उपस्थितिः दीपक कुमार,
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
शिवहर।
07.05.2026

दिनांक–07.05.2026 **आदेश**

काराधीन अभियुक्त–पवन कुमार उर्फ पवन पासवान, जिन्हें श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–122 / 2025, अंतर्गत धारा–**331(4), 305(a) of BNS.** के अपराध के संदर्भ में दिनांक–05.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में होना अभिकथित है कि ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध कुमार, चीफ एल.ए.डी.सी. के द्वारा संचालित किया गया है, जिस पर उनको एवं अभियोजन की ओर से विद्वान लोक अभियोजक, श्री सुरेश राय को सुना गया।

अभियोजन का मामला प्राथमिकी के अनुसार संक्षेप में यह है, जिसमें सूचक ने श्यामपुर भटहां थाना पर दिये गये अपने लिखित आवेदन में लिखा है कि–मेरा नाम रामप्रवेश चौधरी, पिता–लालबाबू चौधरी, सा0–नयागॉव वार्ड नं0–01, थाना–श्यामपुर भटहां, जिला–शिवहर का निवासी हूँ। दिनांक–03.08.2025 एवं 04.08.2025 रात्री करीब 10:30 पी0एम0 बजे खाना खाकर अपने घर में सोये थे, घर में खटपट का आवाज हुआ, मैं और पत्नी सुनीता देवी ने देखा की तीन–चार लोग घर में घुसे हुए हैं, हमलोग चोर–चोर हल्ला किये तो और लोग भाग गया। एक चोर पकड़ा गया, जिसका नाम–पता पुछने पर अपना नाम पवन पासवान, पिता–शिवपुजन पासवान, सा0–नयागॉव बताया। भागे चोर का नाम–छोटेलाल चौधरी, पिता–जगदीश चौधरी, सा0–कांसपकड़ी विशुनपुर तारा, थाना–मधुबन, जिला–मोतिहारी बताया। अन्य का नाम विक्रम कुमार, सा0–मधुबन चौक पर चाय का दुकान, नितेश कुमार पिता–नामालूम, सा0–मधुबन, रवि पासवान, पिता–भवीखन पासवान, सा0–नयागॉव, थाना–श्यामपुर भटहां बताया। हमलोग अपना घर देखा तो मेरे अलमारी से 24,000 / –, आधार कार्ड, ए0टी0एम0 कार्ड, पहचान–पत्र, सभी गायब था। पिछले रविवार को मनमोहन कुमार के घर से एक मोबाईल ईनफिनिक्स 07 मो0 नं0–7870862380, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं अन्य कागजात, फुलमती देवी के घर से छोटा मोबाईल नं0–8677902935 लगा था। परशुराम राउत के घर से एक वीवी का मो0 जिसमें 9955058681 लगा था, सभी चोरी कर लिया था। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया है।

जमानत आवेदन को प्रचालित कर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, तृतीय, शिवहर के द्वारा दिनांक–02.09.2025 को खारिज किये जाने एवं अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–440 / 2025, दिनांक–18.11.2025 को श्रीमान् के न्यायालय के द्वारा खारिज किये जाने के बाद आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन किसी अन्य वरीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक का पूर्व से एक अपराधिक इतिहास–श्यामपुरभटहां थाना कांड संख्या–67 / 2024 दर्ज है। आवेदक अभियुक्त

लगातार / –

न्यायालयः दीपक कुमार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर।

जमानत आवेदन संख्या–54 / 2026

श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–122 / 2025.

सरकार बनाम् शिवपुजन पासवान

अंतर्गत धारा–331(4), 305(a) of BNS.

सी.एन.आर.नं0–BRS001001058 2026

दिनांक–07.05.2026 **–2–**

दिनांक–05.08.2025, लगभग नौ माह से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व आरोप का गठन हो चुका है। आवेदक सक्षम जमानत बंध–पत्र देने को तैयार हैं तथा उसके पलायन की कोई संभावना नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक अभियुक्त के जमानत का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना तथा प्राथमिकी एवं वाद से संबंधित मूल अभिलेख एवं मूल अभिलेख पर उपलब्ध वाद दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी एवं वाद दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त–पवन कुमार उर्फ पवन पासवान पर प्राथमिकी के नामित अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर रात्रि में सूचक के घर में घुसकर चोरी करते हुए पकड़े जाने का आरोप है। वाद दैनिकी की कंडिका–35. में आवेदक अभियुक्त के विरूद्व थाना अभिलेख में इस कांड के अलावे पूर्व से एक अन्य मामला–श्यामपुर भटहां थाना कांड संख्या–67 / 2024 दर्ज होने, जिसमें आरोप–पत्र दर्ज होने का तथ्य अंकित है। मूल अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्व प्रस्तुत वाद में दिनांक–04.04.2026 को अंतर्गत धारा–331(4), 305 बी0एन0एस0 में आरोप का गठन हो चुका है। आवेदक अभियुक्त दिनांक–05.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदक अभियुक्त लम्बी कारावधि एवं अन्य को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त–पवन कुमार उर्फ पवन पासवान को मो0–10,000 / –(दस हजार रूपया) के दो समान प्रतिभू एवं जमानतदार दाखिल करने पर अंतर्गत धारा–480(3) बी0एन0एस0एस0 के शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश प्रदान किया जाता है।

लेखापित एवं शुद्विकृत

ह0 / –

प्रधान सत्र न्यायाधीश
शिवहर।
07.05.2026